ज़कात की मद ''फ़ी सबीलिल्लाह'' का मतलब

क़ुरआन मजीद में ज़कात की आठ मदें बताई गयी हैं। वे ये हैंः फ़क़ीर के लिए, मिसकीनों के लिए

इनमें फ़ी सबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में) से अभिप्राय क्या है और यह मद किन किन मामलों पर लागू होगी? इसपर भी पांचवें सेमिनार में विचार किया गया। इस सिलसिले में निम्न बिन्दुओं की घोशणा की गयी।

1- सेमिनार में भाग लेने वाले सभी आलिमों और मुफ्तियों का इस बात पर एकमत है कि सूरः तौबा की आयत 60 में ज़कात की जो आठ मदें बताई गयीं हैं, उनमें कुछ और नहीं जोड़ा जा सकता।

2- सेमिनार में शरीक लोगों की यह आम धारण है कि 'फ़ीसबीलिल्लाह' से मुराद असकरी जिहाद (हथियारों से लड़ी जाने वाली जंग) है। लेकिन कुछ लोगों का विचार यह भी है कि इसमें असकरी जिहाद के साथ साथ वे तमाम काम भी शामिल हैं जो आज के ज़माने में इस्लाम की दावत और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए किए जा रहे हों। यह विचार रखने वालों के नाम निम्नलिखित हैंः

मौलाना शम्स पीर ज़ादा

मौलाना सुलतान अहमद इस्लाही

डाक्टर अब्दुल अज़ीम इस्लाही

इनके अलावा इराक़ के शेख़ मुहम्मद महरूस अल मुदर्रिस का यह मानना है कि फ़ी सबीलिल्लाह के मतलब में व्यापकता है।

3- अधिकतर लोगों का मानना है कि आज के ज़माने में दीनी और दावती कामों के लिए दरकार माल जुटाने में आने वाली कठिनाई के बावजूद इस की गुंजाईश नहीं है कि ज़कात के सातवें खाते (फ़ी सबीलिल्लाह) का दायरा बढाकर इसमें तमाम दीनी और दावती कामों को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इसकी मिसाल इस्लाम के प्रारंभिक ज़माने में नहीं मिलती तथा ऐसा करने से मुसलमानों के गरीब एवं पिछड़े तबक़े की किफ़ालत जो ज़कात का अहम उद्देश्य है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस तर्क को वे लोग नहीं मानते हैं जिनका ज़िक्र प्रस्ताव की धारा 2 में किया गया है।

☆☆☆